



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022025-261187  
CG-DL-E-20022025-261187

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946

No. 742]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/PAUSAH 24, 1946

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2025

**का.आ. 746(अ).**—केंद्रीय सरकार ने 'ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण' के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम(सीजीएस-एनपीएफ) को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य योग्य लेंडिंग संस्थाओं (ईएलआई) द्वारा ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित गिरवी ऋणों को वित्तपोषित करने के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

- इस केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के रूप में जाना जाएगा।
- यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और वित्त वर्ष 2030-31 तक अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य तारीख तक वैध होगी।
- इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद स्वीकृत नए ऋण निम्नलिखित विशेषताओं के साथ इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

[फा.सं.3/2023-Stg-II]

अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

### CGS-NPF योजना के संचालन दिशानिर्देश

केंद्रीय सरकार ने 'ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस-एनपीएफ)' को केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य योग्य लेंडिंग संस्थाओं (ईएलआई) द्वारा ई-नेगोशिएल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित गिरवी ऋणों को वित्तपोषित करने के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

#### **1. शीर्षक और प्रारंभ होने की तिथि:**

- i. इस केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के रूप में जाना जाएगा।
- ii. यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और वित्त वर्ष 2030-31 तक अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य तारीख तक वैध होगी।
- iii. इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद स्वीकृत नए ऋण निम्नलिखित विशेषताओं के साथ इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

#### **2. परिभाषाएं**

- i. इस स्कीम के प्रयोजनार्थ "गिरवी वित्त" से, वैध ग्रहणाधिकार के साथ-ई-परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के प्रति पात्र ऋणदाता संस्थाओं (ईएलआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा के रूप में गिरवी वित्त अभिप्रेत है;
- ii. "चूक राशि" से, ऋणग्राही के खाते (खातों) में लिए गए ऋण के संबंध में, उक्त खाते के अतिदेय होने की तारीख या दावा संबंधी आवेदन दर्ज करने की तारीख, जो भी पहले हो, को मौजूदा बकाया मूलधन और ब्याज राशि, अभिप्रेत है;
- iii. "गारंटी शुल्क" से, पात्र ऋणदाता संस्थाओं (ईएलआई) द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत एक निर्दिष्ट दर पर देय गारंटी शुल्क, अभिप्रेत है;
- iv. "संदर्भ दर" से, इस योजना के उद्देश्य के लिए, ईएलआई द्वारा छह माह की अवधि के लिए घोषित निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत, अभिप्रेत है। सहकारी बैंकों के लिए जहां एमएलसीआर लागू नहीं है, संदर्भ दर लक्षित वर्गों के लिए औसत ऋण दर होगी। तथापि, एमसी विद्यमान ब्याज दर परिदृश्य, ऋणदाता संस्थाओं की ब्याज दरों और भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीतियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ऐसी संदर्भ दर में संशोधन कर सकती है;
- v. "निधि" से, पात्र ऋणग्राहियों को उनके ऋण के प्रति पात्र ऋणदाता संस्था (संस्थाओं) को गारंटी देने के उद्देश्य से 'ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी ऋणों के वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ)' के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम' हेतु सृजित क्रेडिट गारंटी निधि, अभिप्रेत है;
- vi. "स्कीम" से, 'ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ)' के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, अभिप्रेत है;
- vii. "न्यास" से, 'ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) न्यास' के लिए क्रेडिट गारंटी निधि, अभिप्रेत है जहां पर ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि रखी जाएगी;
- viii. "एनसीजीटीसी" से, भारत सरकार द्वारा, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 28 मार्च 2014 को, शैक्षिक ऋण, कौशल विकास ऋण और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सृजित की जाने वाली अन्य कोई निधियों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि के लेन-देन करने के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने हेतु स्थापितराष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी अभिप्रेत है।

- ix. "पात्र क्रृष्णदाता संस्था"से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित सभी अनुसूचित बैंक, सभी सहकारी बैंक और भविष्य में शामिल की जाने वाली ऐसी अन्य संस्थाएं, अभिप्रेत है, जिन्होंने गारंटी प्राप्त करने के लिए न्यास/न्यासी के साथ करार किया है/वचन पत्र प्रस्तुत किया है।
- x. "क्रेडिट सुविधा"से, इस स्कीम के तहत पात्र क्रृष्णग्राही को पात्र क्रृष्णदाता संस्था (ईएलआई) द्वारा प्रदान किया गया कोई क्रृष्ण, अभिप्रेत है;
- xi. "गारंटी कवर"से, क्रृष्णदाता संस्था द्वारा प्रदान की गई क्रृष्ण सुविधा के संबंध में चूक राशि के प्रति पात्र क्रृष्णग्राहीको उपलब्ध अधिकतम कवरअभिप्रेत है;
- xii. "गारंटी कवर की अवधि"से, गारंटी प्रारंभ होने की तिथि से गारंटी कवर की अधिकतम अवधि, जो क्रृष्ण की सम्मत अवधि तक चलेगी, अभिप्रेत है;
- xiii. "अनर्जक आस्तियां"से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनर्जकआधारित दिशानिर्देशों के रूप में वर्गीकृत आस्तियां, अभिप्रेत हैं;
- xiv. "वर्ष"से, 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;
- xv. "परिवंधन अवधि"से, वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान गारंटी की कोई मांग नहीं कीजा सकती। क्रृष्णग्राहीको क्रृष्ण के संवितरण की तारीख या क्रृष्णग्राही को क्रृष्ण सुविधा के संबंध में गारंटी के प्रारंभकी तारीख, जो भी बाद में हो, से 1 माह की परिवंधन अवधि निर्धारित की गई है;
- xvi. "गारंटी प्रारंभ होने की तारीख"से, वह तारीख अभिप्रेत है जिस पर न्यासी द्वारा पात्र क्रृष्णदाता संस्था से गारंटी शुल्क प्राप्त किया जाता है;
- xvii. "भांडागारपाल"से, डब्ल्यू (डीएंड आर) अधिनियम, 2007 में भांडागारपाल यथापरिभाषित, अभिप्रेत है;
  - i. "से, भांडागारपालके प्रचालन से होने वाले जोखिमऔर उनके द्वारा दिए गए क्रृष्णों पर ईएलआई को हानि पहुंचाना, अभिप्रेत है। इस जोखिम मेंगुणवत्ता और मात्रा के कारण माल का दुर्विनियोजन, माल की हानि आदि शामिल हैं, परंतु यह जोखिम यहीं तक सीमित नहीं है। तथापि, भांडागारपाल और ईएलआई की मिलीभगत तथा जमाकर्ता और ईएलआई की मिलीभगत से उत्पन्न जोखिम इसमेंशामिल नहीं है;

## अध्याय II

### स्कीम का कार्यक्षेत्र और विस्तार

#### 3. स्कीम का कार्यक्षेत्र:

- i. इस स्कीम में कृषि और बागवानी वस्तुओं के सापेक्षजारी ई-एनडब्ल्यूआर पर प्रदान किए गए गिरवी क्रृष्ण कवर किए जाते हैं।
- ii. इस स्कीमके अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, ईएलआई द्वारा पात्र क्रृष्णग्राही को प्रदान किए गए ई-एनडब्ल्यूआर के प्रति क्रृष्णों के संबंध में, जिसने न्यासी के साथ इस उद्देश्य के लिए आवश्यक करार किया है, न्यासी, ईएलआई द्वारा प्रदान किए गए क्रृष्णों की वापसी में चूक केमालेमें गारंटी प्रदान करने का वचन देता है।
- iii. यह स्कीमक्रेडिट और भांडागारपालके जोखिम के कारण बैंक कोहुई हानि को कवर करती है। प्रबंधन समिति, भांडागारपाल जोखिम की परिभाषा को समय-समय पर संशोधित कर सकती है।
- iv. न्यासी के पास ईएलआई द्वारा इसे संदर्भित किए गए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जो अन्यथा किसी भी वैध कारण से इस स्कीम के मानदंडों को पूरा करता है।

#### 4. सीजीएस-एनपीएफ का कॉर्पस

ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में अनुशंसित किया गया है, जिसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा वर्ष 2024-25 से 16वें वित्त आयोग चक्र के अंत तक अर्थात् वर्ष 2030-31 तक 1000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

## 5. शासन

क्रेडिट गारंटी निधिन्यास में रखी जाएगी। भारत सरकार इस न्यास की स्थापना करेगी। संस्थापक, एनसीजीटीसी को न्यासी के रूप में नियुक्त करेगा और न्यासी दिशानिर्देशों और स्कीम के अनुसार न्यास का प्रबंधन करेगा।

## 6. प्रबंधन समिति (एमसी)

- i. भारत सरकार द्वारा गठित प्रबंधन समिति (एमसी) इसस्कीम के निष्पादनकी समीक्षा करने और इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए न्यासी को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- ii. प्रबंधन समिति (एमसी) की संरचना निम्नानुसार होगी:
  - क. अध्यक्ष, डब्ल्यूडीआरए – अध्यक्ष
  - ख. वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारी जो कम से कम संयुक्त सचिव रैंक के हों -सदस्य
  - ग. सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी जो कम से कम संयुक्त सचिव रैंक के हों -सदस्य
  - घ. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारीजो कम से कम संयुक्त सचिव रैंक के हों -सदस्य
  - ड. सीई, आईबीए द्वारा नामित आईबीए के प्रतिनिधि- सदस्य
  - च. नाबाड़ के अधिकारीजो कम से कम सीजीएमरैंक के हों -सदस्य
  - छ. डोमेन विशेषज्ञ (संबंधित मंत्रालय द्वारा नामित, (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार) –सदस्य
  - ज. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), न्यासी कंपनी, (एनसीजीटीसी)-सदस्य सचिव
- iii. कोई सदस्य अपनी पदेन क्षमता से केवल तब तक सदस्य के रूप में रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है और उसके उस पद को रिक्त करने परउसका उत्तराधिकारी बिना किसी और कार्य या विलेख का सदस्य बन जाएगा।
- iv. भारत सरकार, यदि आवश्यक हो, एक नई निगमित निकायको समाविष्ट करके प्रबंधनसमिति (एमसी) के संविधानमें परिवर्तन कर सकती है या अन्यथा एवंतब तक एमसी के मौजूदा सदस्य बने रहेंगे।
- v. समिति का सदस्य भारत का निवासी होगा।
- vi. सदस्य का पद रिक्त माना जाएगा यदि वह स्थायी रूप से भारत छोड़ देता है या वार्षिकारी के कारण शारीरक अथवा मानसिक अक्षमता, भारत सरकार के अनुसार वहसदस्य के रूप में कार्य करने में अक्षम या असमर्थ हो जाता है।
- vii. प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।
- viii. भूमिका/कार्य:::
  - क. डब्ल्यूडीआरए और भारत सरकार सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद भविष्य कीजरूरतोंके अनुसार गैर-वित्तीय मामलों से संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों में संशोधन।
  - ख. क्रष्णदाता संस्थाओंके पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी जारी करने, दावा, दावा निपटान और दावा निपटान के पश्चात केकार्यकलापों के संबंध में नियम आधारित प्रणालीपर क्रेडिट गारंटी प्रचालनों के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों का अनुमोदन।
  - ग. न्यास की निवेश नीति का अनुमोदन।
  - घ. प्रबंधनसमिति (एमसी) इस स्कीम के तहत पात्रताहासिलकरनेके लिए क्रष्णदात्री संस्थानों हेतु मानदंड विनिर्दिष्ट करेगी।
  - ड. प्रबंधनसमिति (एमसी)क्रेडिटगारंटी निधि से कम/उच्च दावा अनुपात वाले क्रष्णदाता संस्थाओंके प्रोत्साहित/हतोत्साहित करने का प्रावधान करेगी।
  - च. प्रबंधनसमिति (एमसी) के पासअन्य वित्तीय संस्थाओंके लिएस्कीम का विस्तारकरने की शक्ति होगी।

## 7. स्कीम के तहत पात्र क्रेडिटसुविधा

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली क्रेडिट सुविधाएं क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगी:

- i. प्राथमिकता वाले सेक्टर के ऋणदाताके संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार कृषि क्रेडिट के तहत ई-एनडब्ल्यूआर के सापेक्षपात्र ऋणग्राही को ईएलआई द्वारा दिए गए ऋण कीअधिकतम राशि 75 लाख रुपये केअध्यधीन है।
- ii. प्राथमिकता वाले सेक्टर के ऋणदाताके संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार,एमएसएमई को ई-एनडब्ल्यूआर के सापेक्ष पात्र ऋणग्राहियों और एसएमएफ, एफपीओ और अन्य किसान सहकारी समितियों सहित किसानों कोईएलआई द्वारा दिए गए ऋणकी अधिकतम राशि 200 लाख रुपये के अध्यधीनहै।
- iii. ब्याज दर:सीजीएस-एनपीएफ के अंतर्गत कवर किए जाने वाले ई-एनडब्ल्यूआर के सापेक्षऋण के लिए पात्र ऋणदाता संस्थाओंद्वारा प्रभारित ब्याज दर जहां लागू है,एमसीएलआर के अतिरिक्त अधिकतम 3% प्रति वर्ष तक होगी। सहकारी बैंकों के लिए, जहां सीमांत लागत ऋणग्राही दर (एमसीएलआर) लागू नहीं है, ब्याज दर को लक्षित खंड के लिए औसत ऋणग्राही दर से 1% कम पर सीमित किया जा सकता है।तथापि, प्रबंधन समिति (एमसी) मौजूदा ब्याज दर परिदृश्य, ऋणदाता संस्थाओं की संदर्भ दरें और आरबीआई की क्रेडिट नीतियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसकी सीमा में संशोधन कर सकती है।
- iv. ईएलआई, ई-एनडब्ल्यूआर में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त कोई आनुषंगिक (कोलेटरल)नहीं लेगा।

## 8. स्कीम के तहत क्रेडिट सुविधाओं की गैर-पात्रता

क्रेडिट सुविधा के लिए स्कीम के तहत गारंटी कवर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा:

- i. जोखिम, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा या सरकार द्वारा/या किसी सामान्य बीमाकर्ता या बीमा, गारंटी अथवा क्षतिपूर्ति का कार्य करने से संबंधित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रचालित/प्रशासित किसी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से कवर किए जाते हैं।
- ii. जो किसी कानून के प्रावधानों या भारत सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, या किसी भी तरह से असंगत है।
- iii. जो चुकौती के लिए अतिदेय है और ईएलआई द्वारा किसी अन्य ऋणदाता या क्रेडिट सुविधा में परिवर्तित हुए किसी अन्य डिफ़ॉल्ट से लिया गया है।
- iv. चुकौती अतिदेयहोने पर जिसेपुनर्निर्धारित या पुनर्संरचित किया गया है।

## 9. क्रेडिट गारंटी कवर और इसकी अवधि

- i. क्रेडिट गारंटी कवर के लिए ऋण सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

ऋण सीमा	लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ)/महिला/अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग किसान	अन्य ऋणग्राही/लाभार्थी
3 लाख रुपए तक	85%	
3 लाख रुपए से अधिक और 75 लाख रुपए तक	80%	
75 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	लागू नहीं	75%

ii. गारंटी कवर,बकायाराशि का भुगतान न करने पर लागू होगा और यह जीएफ के भुगतान की तारीख से शुरू होगा और ऋण की सहमत अवधि तक चलेगा।

iii. यह कवर केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब ईएलआई, स्कीम के तहत क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाने के लिए न्यास/न्यासी (न्यास की तरफ से) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और समय-समय पर न्यास द्वारा निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रदान या सुपुर्द किया जाएगा।

### अध्याय III

#### गारंटी शुल्क संरचना

**10. गारंटी शुल्क**

i. गत माह के अंतिम दिन तक बकाया ऋण राशि के लिए ईएलआई द्वारा न्यास को प्रत्येक माह के 7 तारीख तक गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

ii. गारंटी शुल्क (जीएफ) निम्नलिखिततालिका के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

सभी किसान	ऋणग्राही गैर किसान
0.40% प्रति वर्ष	1% प्रति वर्ष

iii. प्रबंधन समिति, जीएफ के अलावा संस्थागत जोखिम आधारित गारंटी शुल्क लागू कर सकती है।

iv. ऋणदात्री संस्था द्वारा एक बार भुगतान किया गया गारंटी शुल्क कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अप्रतिदेय है, जैसे:

क. अतिरिक्त धन प्रेषण।

ख. समान क्रेडिट सुविधा के सापेक्षाएक से अधिक बार किया गया धन प्रेषण।

ग. गारंटी शुल्क बकाया न हो।

घ. अग्रिम रूप से भुगतान किया गया गारंटी शुल्क लेकिन स्कीम के तहत गारंटी कवर के लिए आवेदन अनुमोदित नहीं किया गया हो, आदि

v. खाते के पहले ही बंद होने के मामले में आनुपातिक जीएफ की कोई वापसी नहीं होगी।

**11. इस स्कीम के तहत ऋणदात्री संस्थाओं का उत्तरदायित्व**

ईएलआई निम्नलिखित कार्य करेगी:

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएलआई की ऋण नीति (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, प्रत्येक ऋण प्रस्ताव और न्यास द्वारा अपेक्षित फार्म एवं पद्धति में प्रस्तुत गारंटी आवेदनका मूल्यांकन।
- ii. ईएलआई की आवश्यकताओं और स्कीम के निवंधन और शर्तों के अनुसार ऋण की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग, कानूनी कार्य और प्रलेखन संबंधी कार्य करना।
- iii. ऋणग्राहीके खाते की मॉनीटरिंग और आवधिक मॉनीटरिंग तथा टिप्पणियों पर शुरू की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के अभिलेखोंका रखरखाव।
- iv. ऋणग्राही इकाइयों की नियमित डेस्क और/या फील्ड मॉनीटरिंग करना।
- v. सुनिश्चित किया जाए कि ऋणग्राहीको क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी दावा इस रूप और पद्धति से और समय के अंदर दर्ज किया जाए, जैसा कि इस स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
- vi. न्यास द्वारा ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावे का भुगतान किसी भी तरह से ऋणदाता संस्था को ऋणग्राही से ऋण की पूरी बकाया राशि की रिकवरीकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। ईएलआई सभी आवश्यक सावधानी बरतेगा और गिरवी रखे स्टॉक के निपटान सहित सभी उचित उपायों का सहारा लेगा ऋणग्राही द्वारा उस पर देय ऋण सुविधा की पूरी राशि की रिकवरीकी जा सके और न्यास के हित की रक्षा की जा सके क्योंकि यह न्यास द्वारा कोई गारंटी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर सामान्य प्रक्रिया में प्रयोग होगा।
- vii. गारंटीकृत खाते की रिकवरी की सुविधा के लिए, या गारंटीकर्ता के रूप में अपने हित की रक्षा के लिए ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, जो न्यास समय-समय पर जारी करने के लिए उपयुक्त समझे।

- viii. गारंटी के प्रयोग से पहले या बाद में किसी भी कार्य से बचें, जो गारंटीकर्त्ता के रूप में न्यास के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- ix. किसी भी समझौते या व्यवस्था में भाग लेते समय न्यास को सूचित करें, जिसमें व्यक्तिगत गारंटी/गारंटियों या सुरक्षा के निर्वहन या छूट का प्रभाव पड़ता है।
- x. न्यासया उसकी नियुक्त एजेंसी के लिए, ऋणग्राही के साथ एक समझौते में अथवा अन्यथा, एक अनुबंध के माध्यम से, न्यास की वेबसाइट या एकीकृत पोर्टल पर डिफ़ॉल्ट ऋणग्राही के नाम और उनका विवरण सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित करना।

## 12. न्यासी द्वारा निगरानी

यदि न्यासी उचित समझे, तो उसे ईएलआई से कोई भी रिपोर्ट मांगने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

### अध्याय IV

#### दावा

## 13. गारंटी का प्रयोग

ईएलआई, डिफ़ॉल्ट की तारीख से न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के बाद या न्यास द्वारा निर्धारित किसी अन्य अवधि के बाद क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी का उपयोग कर सकता है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने के बाद गारंटी को लागू किया जा सकता है:

- i. क्रेडिट सुविधा के संबंध में, ऋणग्राहीद्वारा ईएलआई को शेष और देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और ईएलआई द्वारा उसऋणराशिको डिफ़ॉल्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि उक्त क्रेडिट सुविधा के संबंध में यहहानि, न्यास द्वारा किए गए कार्यों/लिए गए निर्णयों के विपरीत या उसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के उल्लंघन या स्कीम के प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण हुई है। वशर्ते कि उक्त क्रेडिट सुविधा के संबंध में ईएलआई न्यासपर नकोई दावा करेगा या न ही दावा करने का हकदार होगा।
- ii. संबंधित क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी डिफ़ॉल्ट के समय लागू होती है।
- iii. एक माह की परिवर्धनअवधि समाप्त हो गई है।
- iv. दावा, ईएलआई के नियंत्रण कार्यालय के माध्यम से या एमसी के निर्णय केअनुसार न्यासी को भेजा जाता है।
- v. ईएलआई सभी आवश्यक सावधानी बरतेगा और दावा प्रस्तुत करने से पहले अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ऋणग्राही से क्रेडिट सुविधा की संपूर्ण राशि की वसूली के लिए गिरवी रखे स्टॉक के निपटान सहित सभी उचित उपायों का सहारा लेगा।
- vi. क्रेडिट सुविधा को वापस ले लिया गया है और ईएलआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

## 14. दावा निपटान

- i. जहां दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है या यदि कोई मिथ्या निरूपण या तथ्यों को संगोपन करते हुए पाया जाता है, जिससे संबंधित ऋणग्राही को अनुचित लाभ हो, तो वहां पर न्यासकिसी भी दावे को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ii. दावा निपटान निम्नानुसार दो किस्तों/चरणों में किया जाएगा:

क्र.सं.	पात्र दावा	दावे की पहली किस्त	दावे की दूसरी किस्त
क.	75 लाख रुपये तक	75%	25%
ख.	75 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक	60%	40%

- iii. दावा निपटान की पहली किस्त के लिए आवश्यक होगा कि खंड 13 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार ईएलआई द्वारा गारंटी का प्रयोग किया जाएगा।
  - iv. न्यास पहले दावे को दर्ज करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर दावे की पहली किस्त का निपटान करेगा, बशर्ते कि दावा सही हो और सभी पहलूमें पूर्ण पाया जाए।
  - v. दावा निपटान की दूसरी किस्त के लिए आवश्यक शर्त यह होगी कि ईएलआई द्वारा दूसरे दावे को जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो।
  - vi. 75 लाख रुपये से अधिक के दावों की दूसरी किस्त के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दावे की लेखापरीक्षाआवश्यक होगी।
  - vii. दावे की दूसरी किस्त ईएलआई द्वारा वसूली कार्यवाही के समापन पर या वसूली की डिक्री प्राप्त होने के एक वर्ष के बाद, जो भी पहले हो, न्यासी के पास दर्ज की जाएगी।
  - viii. न्यासी दूसरे दावे को दर्ज करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर दूसरे दावे का निपटान करेगा, बशर्ते कि दावा सभी प्रकार से सही और सभी पहलू में पूर्ण पाया जाए।
  - ix. ईएलआई गारंटी के निपटान के बाद भी चूककर्ता ऋणग्राही से देय शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास करता रहेगा।
  - x. एक बार दावे का भुगतान हो जाने के बाद, न्यास को संबंधित क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी के प्रयोगकेकारण अपनी सभी देनदारियों से मुक्त माना जाएगा।
- 15. भुगतान किए गए दावों के आधार पर अधिकारों का प्रत्यायोजन और वसूली**
- i. वसूली के प्रयासों का विवरण और समय-समय पर न्यास द्वारा मांगी जाने वाली ऐसी अन्य जानकारी ईएलआई द्वारा न्यासको प्रस्तुत की जाएगी।
  - ii. अपनी ओर से और न्यासकी ओर से, ईएलआई स्कीम के तहत कवर की गई क्रेडिट सुविधा के लिए ऋणग्राही द्वारा ईएलआई को दी गई प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार रखेगा।
  - iii. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, परिसंपत्तियों की विक्री आदि सहित बकाया राशि की वसूली की जिम्मेदारी ईएलआई के पास होगी।
  - iv. ईएलआई द्वारा वसूली कार्यवाही के दौरान प्राप्त अधिशेष राशि पर न्यासीके पास ईएलआई को ऋणग्राही द्वारा बकाया कई अलग-अलग और अलग-अलग ऋणों में से किसी एक या अधिक के संबंध में दूसरा प्रभार होगा। ईएलआई अधिशेष वसूली की ऐसी धनराशिको न्यास को विनियोजित करेगा।

## अध्याय V

### विविध

**16. ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन**

ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन उस क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में गारंटी शुल्क, दंडात्मक ब्याज और अन्य प्रभार देय हो गए हैं। यदि गारंटी शुल्क और दंडात्मक ब्याज एक ही तारीख को देय हो गए हैं, तो विनियोजन पहले गारंटी शुल्क के लिए और फिर दंड ब्याज की ओर से और अंत में पात्र क्रेडिट सुविधा के संबंध में देय किसी अन्य शुल्क के लिए किया जाएगा।

**17. गारंटी का प्रयोग किए जाने के बाद ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा वसूल की गई राशि की अवशिष्ट वसूली/विनियोजन।**

न्यास द्वारा पहला दावा जारी करने के बाद ऋणग्राही से ईएलआई द्वारा की गई किसी वसूली के मामले में, ऐसी वसूलियों में न्यास का आनुपातिक हिस्सा (राशि की वसूली के लिए ईएलआई द्वारा किए गए कानूनी खर्चों के समायोजन के बाद) ईएलआई द्वारा न्यास को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसी धनराशि को उस तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर तिमाही आधार पर न्यास को अंतरित की जाएगी, जिसमें यह राशि वसूली की गई थी। यदि न्यास को देय कोई राशि उक्त अवधि के बाद भी भुगतान नहीं की जाती है, तो विलम्ब की अवधि के लिए ऋणदाता

संस्था द्वारा न्यासको 10% प्रति वर्ष की दर से या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी दर पर दंडात्मक ब्याज देय होगा।

#### 18. दावा का प्रतिदाय

- ईएलआई न्यास द्वारा जारी किए गए दावे को दंडात्मक ब्याज के साथ 10% प्रति वर्ष की दर से या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट, उस अवधि के लिएजिसके लिए दावा जारी किया गया है, को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि न्यास द्वारा निम्नलिखित की स्थिति में इसेवापस लिया जाता है तो:
  - मूल्यांकन/अनुबर्ती/ऋण सुविधा के संचालन के मामले में गंभीर कमियां पाई गई हों, अथवा
  - जहां दावा एक से अधिक बार दर्ज करना था या
  - जहां दावे के निपटान के लिए ऋण देने वाली संस्था की ओर से किसी भी भौतिक जानकारी को छुपाया गया था, या
  - जहां दावा एमसी द्वारा निपटान बाद में संशोधित/अस्वीकार कर दिया गया हो।
- न्यास द्वारा किए गए दावे के वृटिपूर्ण/भूलवश भुगतान को

#### 19. कतिपय मामलों में न्यास की देयता का समाप्त

- इस स्कीम के तहत किसी ऋणग्राही को ईएलआई द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी समाप्त मानी जाएगी, यदि इस स्कीम के तहत गारंटीकृत किसी पात्रक्रेडिट सुविधा के कारण ऋणदातासंस्था को ऋणग्राही की देयताएं न्यास की सहमति के बिना किसी अन्य ऋणग्राही को अंतरित या सुपुर्द कर दी जाती हैं, जिसकी मांग ईएलआई अथवा ऋणग्राही द्वारा लिखित में निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए की जाएगी और हस्तांतरण/सुपुर्दुर्गी और यदि ऋणग्राही की पात्रता और सुविधा की राशि और किसी भी अन्य निवंधन और शर्तें, यदि कोई हो, के अधीन जिसके तहत स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट सुविधा की गारंटी दी जा सकती है, उक्त हस्तांतरण या सुपुर्दुर्गी की तारीख से उक्त हस्तांतरण या सुपुर्दुर्गकि बाद संतुष्ट नहीं हैं।
- इस स्कीम के तहत ईएलआई द्वारा ऋणग्राही को दी गई किसी क्रेडिट सुविधा के संबंध में न्यास की देयता, उस तिथि तक ऋणग्राही की ईएलआई के प्रति देयता सीमित होगी, जिस तिथि को ऋणग्राही अपने कार्यकलाप की समाप्ति के कारण स्कीम के तहत कोई क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए अपात्र हो जाता, बशर्ते कि यह जो इस योजना के तहत निर्धारित न्यासकी देयता की सीमाओं के अधीन होगी।

#### 20. रिटर्न और निरीक्षण

- ईएलआई ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी जानकारी प्रदान करेगा, जिसकी न्यास को इस स्कीम के तहत किसी भी क्रेडिट सुविधा के संबंध में आवश्यकता हो सकती है। ईएलआईन्यास को ऐसे सभी दस्तावेज, रसीदें, प्रमाण-पत्र तथा अन्य लिखित दस्तावेज भी प्रदान करेगा जिनकी बाद में आवश्यकता हो सकती है, तथा यह माना जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों, रसीदों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य लिखित दस्तावेजों की विषय-वस्तु सत्य है, बशर्ते कि किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सद्वावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के लिए ईएलआई या उसके किसी भी अधिकारी पर कोई दायित्व नहीं लगाया जाएगा।
- न्यास के पास, जहां तक स्कीम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, ईएलआई तथा ईएलआई से किसी भी ऋणग्राही की लेखा पुस्तिकातथा अन्य अभिलेखों (जिसमें अग्रिमों के संचालन के संबंध में सामान्य अनुदेशों को शामिल करने वाली कोई अनुदेश पुस्तिका या मैनुअल या परिपत्र शामिल हैं) का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां मांगने का अधिकार होगा। ऐसा निरीक्षण न्यास अथवा न्यास द्वारा निरीक्षण के प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। ईएलआई का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऋणग्राही, जो ऐसा करने की स्थिति में है, न्यास या निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति/एजेंसी को, जैसा भी मामला हो, लेखा पुस्तिकाओं और अन्य अभिलेखतथा सूचना, जो उसके पास हैं, उपलब्ध कराएगा।

#### 21. सामान्य

- स्कीम की निवंधन एवं शर्तें ईएलआई पर बाध्यकारी होंगी।

- ii. न्यास द्वारा दी गई कोई भी गारंटी स्कीम के प्रावधानों तथा न्यास द्वारा निर्धारित निवंधनएवं शर्तें द्वारा परिचालित होगी, जैसे कि इस तरह की गारंटी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों में लिखा गया था।
- iii. ईएलआई इस स्कीम के तहत किसी ऋणग्राहीहेतु पात्र क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कवर कीमांग करता है और उसे यह गारंटी कवर प्रदान किया जाता है, यह माना जाएगा कि उसने इस स्कीम की निवंधनएवं शर्तें तथा इस संबंध में न्यास की अन्य निवंधनएवं शर्तें को समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है, तथा वे स्वयं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
- iv. जहां तक संभव हो, ईएलआई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अंतर्गत गारंटीकृत खाते से संबंधित किसी संविदा की शर्तें योजना के प्रावधानों के विरुद्ध न हों।
- v. ईएलआई द्वारा किए गए किसी अन्य दस्तावेज या अनुबंध में किसी प्रावधान के बावजूद, स्कीम के प्रावधान/शर्तें ऐसे सभी अन्य प्रावधानों पर हावी होंगी जैसे कि ये शर्तें संबंधित दस्तावेज/अनुबंध में लिखी गई हों और न्यास के संबंध में, स्कीम के तहत लगाई गई शर्तों से बाध्य होंगी।

## **22. निधि का लेखापरीक्षा:**

न्यासी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षकद्वारा नियुक्त एक सांविधिक लेखापरीक्षक से वार्षिक रूप से निधि का लेखापरीक्षा करवाना होगा। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रत्येकवर्ष 31 जुलाई तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

## **23. आशोधन और रियायतें**

- i. एमसी, गैर-वित्तीय मामलों से संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों को किसी भी तरह से आशोधित, रद्द या प्रतिस्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो भी वह आवश्यक समझे, हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कीम के तहत दीजाने वाली गारंटी से उत्पन्न होने वाले अधिकार या दायित्व, जिस तारीख को ऐसा आशोधन, रद्द या प्रतिस्थापन लागू होता है, प्रभावित नहीं होंगे। सभी वित्तीय मामलों में परिवर्तन, भारत सरकार को संदर्भित किए जाएंगे।
- ii. इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, एमसी को ऐसे खाते के संबंध में गैर-वित्तीय मामलों से संबंधित स्कीम के निवंधनएवं शर्तोंको बदलने का अधिकार होगा, जिसके संबंध में ऐसे परिवर्तन की तारीखतक गारंटी लागू नहीं की गई है। सभी वित्तीय मामलों में परिवर्तन भारत सरकार को संदर्भित किया जाएगा।
- iii. स्कीम के रद्द होने की स्थिति में, स्कीम द्वारा कवर की गई सुविधाओं के संबंध में न्यास के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्कीम में निहित प्रावधानों का अनुपालन ईएलआई द्वारा उस तारीख से पहले नहीं कर लिया जाता है, जिस तारीख में रद्दीकरण लागू होती है।
- iv. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ई-एनडब्ल्यूआर को वित्तपोषित करते समय बैंकों के समक्ष आने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाएगा।

## **24. स्पष्टीकरण**

स्कीम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या या उसके संबंध में दिए गए किसी भीनिर्देश, अनुदेश या स्पष्टीकरण के संबंध में एमसी का निर्णय अंतिम होगा।

## **25. अनुपूरक और सामान्य प्रावधान**

इस स्कीम में विशेष रूप से प्रावधान न किए गए किसी मामले के संबंध में, न्यासऐसे अनुपूरक या अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है या ऐसे निर्देश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जो स्कीम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसका ईएलआई को उनका अनुपालन करना होगा।

## **26. मध्यस्थता**

इससमझौते से यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, उसे विचार-विमर्श आपसी परामर्श के माध्यम से समाधान किया जाएगा, ऐसा न होने पर संबंधित ईएलआई और न्यास द्वारा चुने गए एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और इसके नवीनतम संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, इसका समाधान किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान मुंबई में होगा।

परिशिष्ट

## संक्षिप्तीकरण की सूची

संक्षिप्तीकरण	परिभाषाएं
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएमएस	संपार्श्चिक प्रबंधन प्रणाली
सीजीएस-एनपीएफ वित्त	ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी हेतुक्रेडिटगारंटी स्कीम
डीएफपीडी	खाद्यऔर सार्वजनिक वितरण विभाग
ईएलआई	पात्र ऋणदाता संस्थाएँ
ई-एनडब्ल्यूआर	इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य बैयरहाउस रसीदें
जीएफ	गारंटी शुल्क
जीओआई	भारत सरकार
आईए	कार्यान्वयन एजेंसी
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
एमसी	प्रबंधन समिति
एमएसएमई	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम
एनए	लागू नहीं
नावार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनडब्ल्यूआर	परक्राम्य गोदाम रसीदें
पीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
एससी	अनुसूचित जाति
एसएमएफ	लघु एवं सीमांत किसान
एसटी	अनुसूचित जनजाति
डब्ल्यूडीआरए	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण
डब्ल्यू(डी एंड आर) अधिनियम	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

## NOTIFICATION

New Delhi the 12<sup>th</sup> February, 2025

**S.O. 746(E).**—The Central Government has approved the ‘Credit Guarantee scheme for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF) as a Central Sector Scheme for the purpose of providing credit guarantees to loans extended by Eligible Lending Institutions (ELIs) to finance e-Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR) based pledge loans.

- i. The Central Sector Scheme shall be known as the Credit Guarantee scheme for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF)
- ii. It shall come into force from the date of notification by the Government of India and shall be valid till FY 2030-31 or such other date as Government of India may decide
- iii. New loans sanctioned on or after the date of notification of the scheme with features as under will be eligible for the coverage under the scheme.

[F. No.3/2023-Stg-II]

ANITA KARN, Jt. Secy.

**Annexure****CGS-NPF Scheme Operational Guidelines**

The Central Government has approved the ‘Credit Guarantee scheme for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF) as a Central Sector Scheme for the purpose of providing credit guarantees to loans extended by Eligible Lending Institutions (ELIs) to finance e-Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR) based pledge loans.

**1. Title and date of commencement:**

- i. The Central Sector Scheme shall be known as the Credit Guarantee scheme for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF)
- ii. It shall come into force from the date of notification by the Government of India and shall be valid till FY 2030-31 or such other date as Government of India may decide
- iii. New loans sanctioned on or after the date of notification of the scheme with features as under will be eligible for the coverage under the scheme.

**2. Definitions**

- i. **“Pledge Finance”** means, for the purpose of this scheme, pledge finance is defined as the credit facility extended by Eligible Lending Institutions (ELIs) against the e-negotiable warehouse receipts with a valid lien;
- ii. **“Amount in Default”** means the principal and interest amount outstanding in the account(s) of the borrower in respect of the loan as on the date of the account becoming overdue or the date of lodging claim application, whichever is lower. It shall not include penal interest, other charges and any other costs debited to the borrower’s account;
- iii. **“Guarantee Fee”** means the guarantee fee payable by the Eligible Lending Institutions (ELIs) at a specified rate under the Credit Guarantee Scheme;
- iv. **“Reference Rate”** means, for the purpose of this scheme, the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) declared by ELI for six months’ tenor. For Cooperative banks where MCLR is not applicable the reference rate will be the average lending rate to the targeted segment. However, MC may revise such reference rate from time to time keeping in view the prevailing interest rate scenario, interest rates of lending institutions and RBI’s Credit Policies;
- v. **“Fund”** means the ‘Credit Guarantee Fund’ for ‘**Credit Guarantee scheme for e-NWR based Pledge Financing (CGS-NPF)**’ created for the purpose of extending guarantees to the eligible lending institution(s) against their lending to eligible borrowers;
- vi. **“Scheme”** means the ‘Credit Guarantee scheme for e-NWR based Pledge Financing (CGS-NPF);
- vii. **“Trust”** means the ‘Credit Guarantee Fund for e-NWR based pledge financing (CGS-NPF) Trust’ which will house the Credit Guarantee Fund for e-NWR based pledge financing;
- viii. **“NCGTC”** means National Credit Guarantee Trustee Company set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate the Credit Guarantee Funds for Educational Loans, Skill Development Loans and any other funds to be set up by Government of India from time to time.
- ix. **“Eligible Lending Institution”** means all scheduled banks mentioned in the Second Schedule of RBI Act, 1934, all cooperative banks and such other institutions as may be included in future , and who have entered into an agreement with/submitted undertaking to the trust/ trustee for availing the guarantee
- x. **“Credit Facility”** means any loan extended by an Eligible Lending Institution (ELI) to an Eligible Borrower under this scheme;
- xi. **“Guarantee Cover”** means maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution;
- xii. **“Tenure of Guarantee Cover”** means the maximum period of Guarantee Cover from the Guarantee start date which shall run through the agreed tenure of the loan;
- xiii. **“Non-Performing Asset”** means an asset classified as non-performing based guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time;
- xiv. **“Year”** means Financial Year, beginning April1 and ending March31;

- xv. "**Lock-in-period**" means the period during which no invocation of guarantee can be made. A lock-in-period of 1 month has been stipulated from either the date of disbursement of the loan to the borrower or the guarantee start date in respect of credit facility to the borrower, whichever is later;
- xvi. "**Guarantee start date**" means the date on which the guarantee fee is received by the Trust from the eligible lending institution;
- xvii. "**Warehouseman**" means the warehouseman as defined in the W (D&R) Act, 2007;
- xviii. "**Warehouseman risk**" means the risk arising out of the operations of warehouseman and causing loss to ELI on the loans extended by them. This risk includes but not limited to misappropriation of goods, loss of goods on account of quality and quantity, etc. However, risk arising out of connivance of warehouseman and ELI and connivance of Depositor and ELI is not included;

## **CHAPTER II**

### **SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME**

#### **3. Scope of the Scheme:**

- i. This scheme covers the pledge loans extended on the e-NWRs issued against agricultural and horticultural commodities.
- ii. Subject to the other provisions of the Scheme, the Trustee undertakes, in relation to loans against e-NWRs extended to an eligible borrower by an ELI which has entered into the necessary agreement for this purpose with the Trustee, to provide guarantee against default in repayment of loans extended by the ELI.
- iii. Scheme covers the loss incurred by the bank due to credit and warehouseman risk. The Management Committee can revise the definition of warehouseman risk from time to time.
- iv. Trustee reserves the right to accept or reject any proposal referred to it by an ELI, which otherwise satisfies the norms of the Scheme, for any lawful reason.

#### **4. Corpus of CGS-NPF**

The Credit Guarantee Scheme for e-NWR based Pledge Financing (CGS-NPF) is recommended as a Central Sectors Scheme to be implemented by Department of Food and Public Distribution (DFPD) from 2024-25 till end of 16th Finance Commission cycle i.e. till 2030-31 with the corpus of Rs 1000 crore.

#### **5. Governance**

The Credit Guarantee Fund shall be housed in the Trust. GoI shall be the settlor of this Trust. The Settlor shall appoint NCGTC as Trustee and the Trustee shall manage the Trust in accordance with the Guidelines and the Scheme.

#### **6. Management Committee(MC)**

- i. Management Committee (MC), constituted by Government of India, shall be responsible for reviewing the performance of the Scheme and providing necessary guidance to Trustee for implementation of the Scheme.
- ii. The composition of the Management Committee (MC) will be:
  - a) **Chairperson, WDRA- Chairperson**
  - b) **Shri Manoj Muttahil Ayyappan, Joint Secretary, Department of Financial Services-Member**
  - c) **Shri Siddarth Jain, Joint Secretary(CTP), Ministry of Cooperation-Member**
  - d) **Joint Secretary, Department of food and public distribution – Member**
  - e) **Shri Gopal Murli Bhagat, Deputy Chief Executive, IBA-Member**
  - f) **Dr K S Mahesh, CGM, NABARD- Member**
  - g) **Ms. Aruna Seth, Domain Expert –Member**
  - h) **Chief Executive Officer (CEO), Trustee Company, (NCGTC), Member Secretary**
- iii. A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further act or deed.
- iv. The GoI, may, if required, change the constitution of the Management Committee (MC) by incorporating a new corporate entity or otherwise and till such time the existing members of the MC will continue.
- v. The member of the Committee shall be resident of India.

- vi. The office of the member shall be vacated if he permanently leaves India or if for reasons of illness or infirmity or mental incapacity, he in the opinion of the GoI, becomes incompetent or incapable to act as a Member.
- vii. The MC shall meet at least once in every quarter.
- viii. Role/Functions:
  - a) Revision of Scheme guidelines related non-financial matters as per the future needs after consulting all stakeholders including WDRA and GoI.
  - b) Approval of the operational guidelines for credit guarantee operations on rule based engine with respect to lending institutions registration, issuance of credit guarantee, claim, claim settlement and post claim settlement activities.
  - c) Approval of investment policy of the Trust.
  - d) MC shall specify the criteria for lending institutions to become eligible under this scheme.
  - e) MC shall make provision to encourage/disincentivize lending institutions with low/high claim ratio from the credit guarantee fund.
  - f) MC shall have the power to extend the scheme to other Financial Institutions.

## **7. Eligible credit facility under the Scheme**

Credit facilities satisfying the following criteria shall be eligible for coverage under Credit Guarantee Scheme:

- i. Loans extended by ELI to eligible borrowers against e-NWRs under Agriculture credit as per RBI Master Directions on Priority Sector Lending subject to a maximum amount of Rs. 75 Lakhs.
- ii. Loans extended by ELI to eligible borrowers against e-NWRs to MSMEs as per RBI Master Directions on Priority Sector Lending and to farmers including SMF, FPOs and other farmer cooperatives, subject to a maximum amount of Rs. 200 Lakhs.
- iii. Interest Rate: The Interest Rate charged by the Eligible Lending Institutions for loans against e-NWRs to be covered under CGS-NPF should be maximum up to 3% p.a. over and above the MCLR where it is applicable. For cooperative banks where Marginal Cost Lending Rate (MCLR) is not applicable, the rate of interest may be capped at 1% below the average lending rate to the targeted segment. However, the Management Committee (MC) may revise such ceiling from time to time keeping in view the prevailing interest rate scenario, reference rates of lending institutions and RBI's Credit Policies.
- iv. ELI shall not take any collateral other than the goods mentioned in the e-NWR.

## **8. Non-Eligibility of Credit Facilities under the Scheme**

The Guarantee Cover under the Scheme shall not be made available for credit facility:

- i. In respect of which risks are additionally covered under any scheme operated/administered by Reserve Bank of India/or by the Government/or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity.
- ii. which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the GoI or the Reserve Bank of India.
- iii. that is overdue for repayment and taken over by ELI from any other lender or any other default converted into a credit facility.
- iv. which has been rescheduled or restructured on becoming overdue for repayment.

## **9. Credit Guarantee Cover and its period**

- i. The loan limits for Credit Guarantee cover shall be as follows:-

<b>Loan Limit</b>	<b>Small and Marginal Farmer (SMF)/ Women/SC/ST/PwD Farmers</b>	<b>Other Borrowers/Beneficiaries</b>
Upto Rs. 3 Lakhs	85%	
Above Rs. 3 Lakhs and up to Rs. 75 Lakhs	80%	

Above Rs. 75 Lakhs and up to Rs. 2 Crores	NA	75%
---	----	-----

- ii. The guarantee cover will be applicable on the amount in default and commence from the date of payment of GF and shall run through the agreed tenure of the loan.
- iii. The Cover shall only be granted after the ELI enters into an Agreement with the Trust/Trustee (on behalf of Trust) for availment of credit guarantee under the Scheme and shall be granted or delivered in accordance with the Terms and Conditions decided upon by the Trust, from time to time.

### CHAPTER III

#### GUARANTEE FEE STRUCTURE

##### **10. Guarantee Fee**

- i. Guarantee Fee shall be paid to the Trust by the ELI latest by the 7th day of each month for the loan amount outstanding on the closing day of the previous month.
- ii. Guarantee Fee (GF) shall be charged as per the below table.

All Farmers	Non farmer Borrowers
0.40% per annum	1% per annum

Management Committee may introduce institutional risk based guarantee fee in addition to GF.

- iii. The guarantee fee once paid by the lending institution is non-refundable, except under certain circumstances like:
  - a. Excess remittance
  - b. Remittance made more than once against the same credit facility,
  - c. Guarantee Fee not due.
  - d. Guarantee fee paid in advance but application not approved for guarantee cover under the scheme, etc.
- iv. There shall be no refund of proportionate GF in case of pre-closure of account.

##### **11. Responsibilities of Lending Institutions under the Scheme**

ELI shall:

- i. Appraise each loan proposal as per the RBI guidelines and Board approved loan policy of the ELI (amended from time to time) and submit the Guarantee Application in the form and manner desired by the Trust.
- ii. Carry out processing, legal work and documentation for sanction of the loan in accordance with the requirements of the ELI and the terms and conditions of the Scheme.
- iii. Monitor the Borrower account and maintain records of periodical monitoring and actions initiated on observations, if any.
- iv. Undertake regular desk and /or field monitoring of the borrowing units.
- v. Ensure that the Guarantee Claim in respect of the credit facility to the Borrower is lodged, in the form and manner and within such time as may be specified by the Scheme.
- vi. The payment of Guarantee Claim by the Trust to the lending institution does not in any way absolve the lending institution of the responsibility of recovering the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The ELI shall exercise all necessary precautions and take recourse to all reasonable measure including disposal of pledged stock to recover from the borrower the entire amount of credit facility that is owed to it by the borrower and safeguarding the interest of the Trust as it shall exercise in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust.
- vii. Be bound to comply with such directions as the Trust may deem fit to issue from time to time, for facilitating recoveries of the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor.

- viii. Refrain from any act either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor.
- ix. Intimate the Trust while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or security.
- x. Secure for Trust or its appointed agency, through a stipulation in an Agreement with the Borrower or otherwise, the right to list the defaulted Borrowers' names and particulars on the Website of Trust or Integrated Portal.

## **12. Monitoring by Trustee**

Trustee shall be authorized to call for any reports from ELI, if it deems fit.

## **CHAPTER IV**

### **CLAIMS**

#### **13. Invocation of Guarantee**

The ELI may invoke the guarantee in respect of credit facility after a minimum period of 90 days from the date of default or any other period decided by the trust. The Guarantee could be invoked after following conditions are satisfied:

- i. The amount due and payable to the ELI in respect of the Credit Facility has not been paid by the Borrower and the loan account has been classified by ELI as default. Provided that the ELI shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said credit facility, if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions/decisions taken contrary to or in contravention of the instructions issued by the Trust or non-compliance of the provisions of this scheme.
- ii. The Guarantee in respect of the concerned Credit Facility is in force at the time of default.
- iii. Lock-in-period of 1 month has lapsed.
- iv. The claim is forwarded to the Trust through ELI's Controlling Office or as decided by MC.
- v. The ELI shall exercise all necessary precautions and take recourse to all reasonable measures including disposal of pledged stock to recover the entire amount of credit facility from the borrower as per its Board approved policy before submitting the claim.
- vi. Credit facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated as per ELI's board approved policy.

#### **14. Claim Settlement**

- i. The Trust reserves the right to reject any Claim where the Guidelines have not been strictly followed or if any misrepresentation or concealment of facts is found leading to undue favour to the concerned borrower.
- ii. Claim settlement shall be in two installments/phases as under:

Sr. no.	Eligible claim	1 <sup>st</sup> installment of claim	2 <sup>nd</sup> installment of claim
a.	Upto Rs. 75 Lakhs	75%	25%
b.	Above Rs. 75 Lakhs and upto Rs. 2 crore	60%	40%

- iii. The requirement for first instalment of claim settlement shall be invocation of Guarantee by the ELI as per criteria laid down under Clause 13.
- iv. Trust shall settle the first instalment of claim within 90 days from the date of lodgment of 1st claim, subject to the claim found to be in order and complete in all respects.
- v. The requirements for second instalment of claim settlement shall be receipt of request for release of 2nd claim by ELI.
- vi. For second installment of claims above Rs. 75 Lakhs, audit of the claim by statutory auditor shall be required.
- vii. The second Instalment of the claim shall be lodged with the Trustee on conclusion of recovery proceedings by the ELI or after one year of obtention of decree of recovery, whichever is earlier.

- viii. Trustee shall settle the second claim within 90 days from the date of lodgement of 2nd claim, subject to the claim found to be in order and complete in all respects.
- ix. The ELI shall continue to make efforts to realize the balance amount due from the defaulting borrower even after settlement of the Guaranteee.
- x. Once the Claim is paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the Guaranteee in force in respect of the Credit Facility concerned.

#### **15. Subrogation of Rights and Recoveries on Account of Claims Paid**

- i. Details of efforts for recovery, realization and such other information as may be demanded by the Trust from time to time shall be furnished to the Trust by the ELI.
- ii. On its own behalf and on behalf of the Trust, the ELI shall hold lien on securities extended by the Borrower to the ELI for credit facility covered under the Scheme.
- iii. The responsibility for the recovery of dues, including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the ELI.
- iv. The Trust shall have second charge on the surplus amount received during recovery proceedings by ELI in respect of any one or more of several distinct and separate debts owed by the borrower to the ELI. ELI shall appropriate such amounts of surplus realization to the Trust.

### **CHAPTER V**

#### **MISCELLANEOUS**

#### **16. Appropriation of amount received from the lending institutions**

The amount received from the lending institutions shall be appropriated in the order in which the Guarantee Fee, penal interest and other charges have fallen due. If the Guarantee Fee and the penal interest have fallen due on the same date, then the appropriation shall be made first towards Guarantee Fee and then towards the penal interest and finally towards any other charges payable in respect of the eligible credit facility.

#### **17. Residual Recovery /Appropriation of amount realized by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked**

In case of any recovery made by the ELI from the borrower subsequent to release of 1st claim by the Trust, proportionate share of Trust in such recoveries (after adjustment of the legal costs incurred by ELI for recovery of the amount) shall be passed on by ELI to the Trust. Such amounts shall be passed on to the Trust on Quarterly basis within 30 days of the end of the Quarter in which the recoveries were made. If any amount due to the Trust remains unpaid beyond the said period, penal interest shall be payable to the Trust by the lending institution at the rate of 10% p.a. or any rate as specified by the GoI, from time to time, for the period of delay.

#### **18. Refund of Claim**

- i. The ELI shall be liable to refund the Claim released by the Trust together with the penal interest at a rate of 10% p.a. or as specified by the GoI, from time to time, for the period for which the Claim has been released, if recalled by the Trust in the event of:
  - a) serious deficiencies having existed in the matter of appraisal/follow up/conduct of credit facility or
  - b) where lodgment of claim was more than once or
  - c) where there existed suppression of any material information on part of lending Institution for settlement of claim or
  - d) where the claim settlement is subsequently revised/ rejected by MC.
- ii. Erroneous/duplicate payment of claim made by the Trust shall not be construed as recall.

#### **19. Termination of Trust's Liability in Certain Cases**

- i. The Guarantee in respect of the Credit Facility extended by an ELI to a Borrower under the Scheme shall be deemed to be terminated, if the liabilities of a borrower to the lending institution on account of any eligible Credit Facility guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower without the consent of the Trust which shall be sought by the ELI or the Borrower in writing stating the reasons for the transfer/ assignment and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the credit facility can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, from the date of the said transfer or assignment.

- ii. The liability of the Trust in respect of any credit facilities granted to a borrower by an ELI under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the ELI as on the date on which the borrower becomes ineligible for being granted any credit facilities under the Scheme, by reason of cessation of its activity, subject to the limits on the liability of the Trust fixed under this Scheme.

## **20. Returns and Inspections**

- i. The ELI shall submit such statements and furnish such information as the Trust may require in connection with any credit facility under this Scheme. The ELI shall also furnish to the Trust all such documents, receipts, certificates and other writings as the later may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the ELI or any officer thereof for anything done in good faith.
- ii. The Trust shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the ELI, and of any borrower from the ELI. Such inspection may be carried out either through the Trust or any other person /agency appointed by the Trust for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the ELI or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the Trust or the person/agency appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.

## **21. General**

- i. The terms & conditions of the Scheme shall be binding on the ELI.
- ii. Any Guarantee given by the Trust shall be circumscribed by & governed by the provisions of the Scheme and terms and conditions laid down by the Trust as if the same had been written in the documents evidencing such Guarantee.
- iii. An ELI that seeks and is granted Guarantee Cover for an eligible Credit Facility to a Borrower under the Scheme shall be deemed to have understood and accepted the Terms and Conditions of the Scheme and other Terms and Conditions of the Trust in this regard as being legally binding on itself.
- iv. The ELI shall as far as possible, ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme.
- v. Notwithstanding any provision in any other document or contract entered into by the ELI, the provisions / conditions of the Scheme shall override all such other provisions as if this conditionality had been written in the relevant document/contract and shall in relation to the Trust be, bound by the conditions imposed under the Scheme.

## **22. Audit of the Fund:**

The Trustee shall have the Fund audited annually by a statutory Auditor empaneled by CAG. The audited annual accounts shall be submitted to DFPD by 31<sup>st</sup> July every year.

## **23. Modifications and Exemptions**

- i. The MC reserves the right to modify, cancel or replace the Scheme guidelines related to non-financial matters in any manner whatsoever that it deems necessary, however so ensuring that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected. Changes in all financial matters shall be referred to GoI.
- ii. Notwithstanding anything contained herein, the MC shall have the right to alter the Terms and Conditions of the Scheme related to non-financial matters with regard to an Account in respect of which Guarantee has not been invoked as on the date of such alteration. Change in all financial matters shall be referred to GoI.
- iii. In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Trust in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in the Scheme are complied with by the ELI prior to the date on which the cancellation comes into force.
- iv. DFPD shall take steps to minimize the incidents of frauds faced by banks while financing e-NWR.

## **24. Interpretation**

The decision of the MC shall be final in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith.

## **25. Supplementary and General Provisions**

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Trust may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme and the ELI shall comply with the same.

## 26. Arbitration

Disputes, if any, arising out of the Agreement shall be resolved through mutual consultation, failing which the Arbitration by a sole Arbitrator chosen by the concerned ELI and Trust in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and its upto date amendment shall be resorted to. The venue of the Arbitration shall be at Mumbai.

\*\*\*\*\*

## ***APPENDIX***

### **LIST OF ABBREVIATIONS**

#### **Abbreviations**

#### **Definitions**

CEO	Chief Executive Officer
CMS	Collateral Management System
CGS-NPF	Credit Guarantee Scheme for e-NWR based Pledge Financing
DFPD	Department of Food & Public Distribution
ELI	Eligible Lending Institutions
e-NWR	Electronic Negotiable Warehouse Receipts
GF	Guarantee Fee
GoI	Government of India
IA	Implementing Agency
IBA	Indian Banks' Association
MC	Management Committee
MSMEs	Micro Small Medium Enterprises
NA	Not Applicable
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NWR	Negotiable Warehouse Receipts
PwD	Person with Disabilities
RBI	Reserve Bank of India
SC	Scheduled Caste
SMF	Small and Marginal Farmers
ST	Scheduled Tribe
WDRA	Warehousing Development Regulatory Authority
W(D&R)Act	Warehousing (Development & Regulation) Act